



# मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या: ए-50/11/4/2012-रा.भा.

दिनांक 16.04.2013

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी), नई दिल्ली ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय ।
3. निदेशक(चिकित्सा)दिल्ली/नोएडा/के.के.नगर ।
4. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय ।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल ।
6. सभी संयुक्त निदेशक एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम ।


**विषय:** हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना/विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को देय मानदेय(पारिश्रमिक) की दरों में संशोधन के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/66/2009-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 04.04.2012 की प्रति आपको सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है ।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

  
16.4.13

(डॉ. पद्मा प्रसाद)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

✓ वेबसाइट सामग्री प्रबंधन को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को कृपया क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

HTP

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

संख्या 21034/66/2009-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल, 2012

कार्यालय जापन

विषय:- हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को देय मानदेय (पारिश्रमिक) की दरों में संशोधन के संबंध में।

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय जापन सं0 14034/29/99-रा.भा.(प्रशि0) दिनांक 14.09.2000 का हवाला देते हुए अधोहस्ताक्षरी को हिंदी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नियुक्त हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक अनुदेशकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय (पारिश्रमिक) देने के लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निर्देश हुआ है:-

अंशकालिक हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि अनुदेशक

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 14.09.2000 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	<u>हिंदी टंकण अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह (1 से 5 तक)  यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 06 से 10 तक हो  यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	45/- प्रतिमाह  450/- प्रतिमाह  750/- प्रतिमाह	<u>हिंदी टंकण अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए)  --  कम से कम 10 प्रशिक्षार्थी  यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	--  900/- प्रतिमाह 1500/- प्रतिमाह
2	<u>हिंदी आशुलिपि अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए)  प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह (1 से 5 तक)  यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 06 से 10 तक हो  यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	90/- प्रतिमाह  750/- प्रतिमाह  1050/- प्रतिमाह	<u>हिंदी आशुलिपि अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए)  --  कम से कम 10 प्रशिक्षार्थी  यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	--  1500/- प्रतिमाह 2100/- प्रतिमाह

श्रीमती विनीता  
05/09


राज भाषा विभाग  
हाथी सड़क  
दिनांक

30

9/4/12

नोट:- पूर्वोक्त क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, सेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है। एसी स्थिति में इन केंद्रों पर कार्यरत अंशकालिक हिंदी टंकण अनुदेशक को 900/- एवं हिंदी आशुलिपि अनुदेशकों को 1500/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

2. इस संबंध में अन्य शर्तें उसी प्रकार लागू रहेंगी जैसी कि इस विभाग के दिनांक 07 सितंबर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12013/56/74-एच/1/रा.भा.(डी) में उल्लेख किया गया है।
3. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers) //2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है।
5. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी।

  
(सुरेश बनि)  
उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

1. सभी महालेखाकार।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हटमेंट्स, उलहौजी रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या 65243/JS(Fin./Pers) //2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में।
7. गाई फर्ईल।